

मीडिया विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन की निष्पादन
लेखापरीक्षा पर वर्ष 2026 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 02

राजस्थान सरकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल के पटल पर रखने के लिए राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन'-राजस्थान सरकार पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को दिनांक 21.08.2026 को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा गया है। प्रक्रिया के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल की गृह तथा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति को भेजा गया है।

प्रतिवेदन की व्याप्ति

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए संपादित की गई इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य योजना प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन पद्धतियों की पर्याप्तता, सृजित रोजगार, टिकाऊ एवं उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण तथा रखरखाव की समीक्षा करना था, साथ ही अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में निगरानी, सामाजिक लेखापरीक्षा और शिकायत निवारण प्रणाली की पर्याप्तता का भी आकलन किया गया।

लेखापरीक्षा में राज्य के 33 जिलों में से पांच जिलों, 10 पंचायत समितियों और 40 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए सात कार्य (कुल 280 कार्य) और सर्वेक्षण के लिए 10 लाभार्थी (कुल 400 लाभार्थी) भी चयनित किए गए।

मुख्य लेखापरीक्षा आक्षेप

योजना एवं वित्तीय प्रबंधन

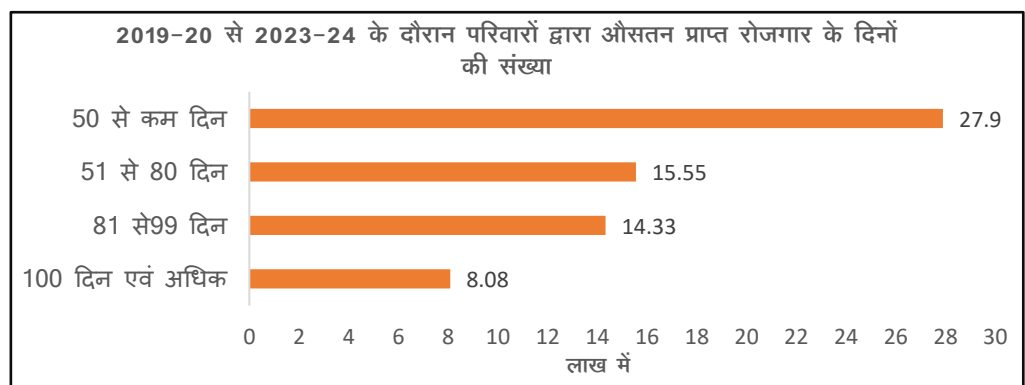
- वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना जाँच की गई किसी भी ग्राम पंचायत में बेसलाइन सर्वेक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण रोजगार के लिए काम की मांग की प्रकृति, मात्रा

और समय का पता नहीं लगाया जा सका और जमीनी स्तर पर एक यथार्थवादी विकास योजना तैयार नहीं की जा सकी।

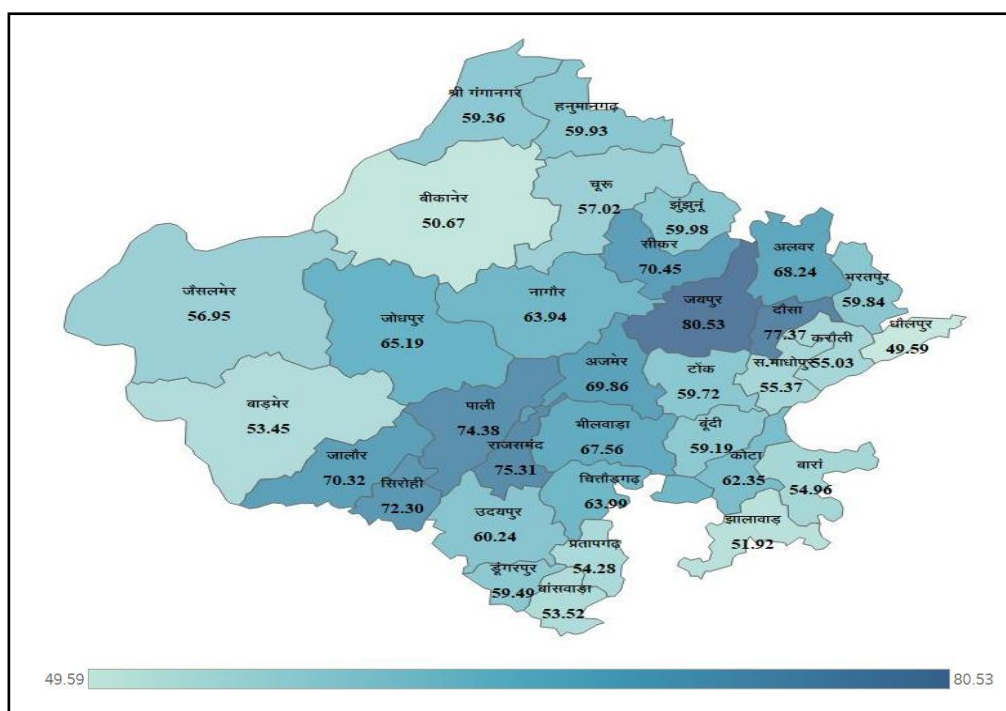
- नमूना जाँच किए गए किसी भी जिले में जिला परिप्रेक्ष्य योजना भी तैयार नहीं की गई थी, जिसके कारण जिलों के सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं और कमियों की पहचान नहीं की जा सकी। इसके अलावा, 2019-24 के दौरान चयनित सात पंचायत समितियों की 16 ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्य योजनाएं, भिन्न-भिन्न वर्षों में ग्राम सभा में कार्यों की प्राथमिकताओं को निर्धारित किए बिना तैयार की गई थी।
- नियोजन के लिए तकनीकी इनपुट प्रदान करने, नियोजन संबंधी डेटाबेस बनाए रखने और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सरकार की दूसरी उत्पादन-उन्मुख योजनाओं के बीच अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित करना आवश्यक था। चयनित ब्लॉकों में से किसी में भी ब्लॉक संसाधन केंद्र स्थापित न होने से ग्राम पंचायतों के पास नियोजन के लिए आवश्यक कोई सहायता प्रणाली नहीं थी।
- राज्य में सभी स्तरों पर, अर्थात् राज्य, जिला, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर, नियमित कर्मचारियों में 3 प्रतिशत से 64 प्रतिशत और संविदा कर्मचारियों में 31 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक मानव संसाधन की कमी से योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- जुलाई 2024 तक राज्य स्तर पर नियमित ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (बीआरपी) और ग्राम संसाधन व्यक्ति (वीआरपी) के पद खाली थे और इन बीआरपी/वीआरपी के स्थान पर मेट/साथिन ही सामाजिक लेखापरीक्षा का कार्य निष्पादित कर रही थीं, जिससे सामाजिक लेखापरीक्षा करने की कुशलता प्रभावित हुई।
- वर्ष 2019-20 से 2023-2024 के दौरान, राज्य सरकार ने सामग्री और प्रशासनिक व्ययों के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधि और स्वयं का अंशदान जारी करने में 3 से 169 दिनों की देरी की, जिसके कारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 से संबंधित ₹ 9.08 करोड़ के ब्याज की देनदारी सृजित हुई।

रोजगार सृजन

- राज्य में, वर्ष 2019-24 के दौरान पंजीकृत परिवारों को जारी किए गए जॉब कार्डों का प्रतिशत 97.73 प्रतिशत से 99.20 प्रतिशत के बीच रहा। हालांकि, यह पाया गया कि योग्य परिवार जो छूट गए हैं और अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहते हैं, उनकी पहचान के लिए घर-घर सर्वेक्षण किसी भी चयनित ग्राम पंचायत में नहीं किया गया था। जॉब कार्डों के संधारण में भी कमियां, जैसे कि किए गए कार्य की तिथियों और भुगतान के विवरण की अपूर्ण प्रविष्टियां, हस्ताक्षर के कॉलम का खाली रहना, परिवार के सभी सदस्यों की फोटोग्राफ का नहीं होना आदि पाई गई।
- 2019-24 के दौरान, केवल 58.71 प्रतिशत से 70.58 प्रतिशत जॉब कार्ड धारक परिवारों ने ही इस योजना के तहत रोजगार की मांग की। हालांकि रोजगार की मांग करने वाले 99.96 प्रतिशत से अधिक जॉब कार्ड धारकों को रोजगार की पेशकश की गई, लेकिन केवल 89.88 प्रतिशत से 94.77 प्रतिशत परिवारों ने ही रोजगार प्राप्त किया।
- 2019-20 से 2023-24 के दौरान औसतन 27.90 लाख परिवारों (42.36 प्रतिशत) ने 50 दिनों से कम का रोजगार प्राप्त किया, जबकि 8.08 लाख परिवारों (12.26 प्रतिशत) ने 100 दिनों या उससे अधिक का रोजगार प्राप्त किया जैसा की नीचे चार्ट में दर्शाया गया है :



- राज्य के सभी जिलों में योजना के तहत रोजगार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल सृजित रोजगार के एक तिहाई से अधिक था तथा 49.59 प्रतिशत और 80.53 प्रतिशत के बीच रहा था जैसा की नीचे चार्ट में दर्शाया गया है :



- 2019-2024 के दौरान, राज्य में पंजीकृत विशेष योग्य जनों को 29.53 प्रतिशत तथा 42.98 प्रतिशत के बीच रोजगार प्रदान किया गया और औसत रोजगार दिवस इन वर्षों के दौरान 38 तथा 44 दिन के बीच रहे जैसा की नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

वर्ष	पंजीकृत विशेष योग्य जनों की संख्या	विशेष योग्य जनों को प्रदान किया गया कार्य	प्रतिशत	वर्ष के दौरान औसत रोजगार दिवस
2019-20	75034	22160	29.53	38
2020-21	79840	31677	39.67	40
2021-22	86199	30238	35.08	41
2022-23	72772	29599	40.67	40
2023-24	68458	29427	42.98	44

- 2019-24 के दौरान कार्य की मांग करने वाले विशेष योग्य जनों का आंकड़ा न तो नरेगा-सॉफ्ट में दर्ज किया गया था और न ही कोई पुस्तक भौतिक अभिलेख रखा गया था जिसके कारण लेखापरीक्षा में कार्य की मांग करने वाले विशेष योग्य जनों का प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जा सका।
- 2019-24 की अवधि के दौरान, राज्य स्तर पर, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) की कोई भी योजना तैयार नहीं की गई तथा नमूना जाँच की गई 72 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने इस अवधि के दौरान कोई भी रोजगार दिवस आयोजित नहीं किए।
- सितंबर 2025 तक, राज्य में 2019-24 के दौरान ₹948.54 करोड़ मजदूरी भुगतान के 2.82 प्रतिशत भुगतान निर्धारित समय सीमा से 16 दिन से लेकर 90 दिन से अधिक की देरी से किए गए थे।

- मजदूरी के विलम्बित भुगतान के कारण गणना किए गए मुआवजे का 80 प्रतिशत प्राकृतिक आपदा और मुआवजे के देय न होने जैसे मनमाने कारणों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया गया, जिससे मुआवजे के वितरण में लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने पर चिंता उत्पन्न होती है।

कार्यों का निष्पादन

- 2019-20 से 2023-24 के दौरान, सितंबर 2025 तक राज्य में स्वीकृत किए गए 21 प्रतिशत कार्य अधूरे थे और 5 प्रतिशत कार्य शुरू ही नहीं हुए थे। राज्य में अधूरे कार्यों में से 8 प्रतिशत कार्य तीन वर्षों से अधिक समय से पूर्ण करने लंबित थे।
- टिकाऊ परिसंपत्तियां जैसे कि अपेक्षित थी निर्मित नहीं हुई, क्योंकि ऐसे उदाहरण सामने आए जहां सड़क निर्माण, मॉडल तालाब/तलाई निर्माण जैसे कार्य बिना किसी सामग्री के उपयोग के निष्पादित हुए थे, जबकि प्राक्कलन में सामग्री का प्रावधान था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :



- मस्टर रोल में श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान का नहीं होना, पंजीकरण सूची में सुधार/ओवरराइटिंग जैसी अनियमितताएं भी देखी गईं।
- टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यों का अभिसरण अनुमत्य है। 2019-24 के दौरान अभिसरण के तहत अनुमोदित कुल 11.36 लाख कार्यों में से, सितंबर 2025 तक 88 प्रतिशत कार्य अपूर्ण थे।
- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से सीधे जुड़े उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कम से कम 60 प्रतिशत कार्य एक जिले में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के अंतर्गत किए

जाने थे, जो राज्य के केवल दो से पांच जिलों में ही सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा, नमूना जाँच किए गए ब्लॉकों में, जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, 2019 से 2024 के दौरान किसी भी वर्ष में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य पर अनिवार्य 65 प्रतिशत व्यय नहीं किया गया।

निगरानी, शिकायत निवारण और सामाजिक लेखापरीक्षा

- राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय तकनीकी एवं गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठों की स्थापना, परिचालन दिशा-निर्देश 2013 जारी होने के 11 वर्ष से अधिक समय बाद हुई।
- लोकपाल के निर्णयों के विरुद्ध अपील पर विचार करने हेतु गठित की जाने वाली अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति में आठ वर्ष की देरी हुई, जिससे पीड़ित व्यक्ति लोकपाल के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने के अधिकार से वंचित रह गया।
- जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का आवधिक निरीक्षण 2021-22 से 2023-24 के दौरान 0 से 66 प्रतिशत के बीच रहा। इस प्रकार, योजना के रियल-टाइम निरीक्षण और साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग का इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।
- नमूना जाँच की गई ग्राम पंचायतों में से 60 प्रतिशत में योजना के तहत निर्धारित रजिस्ट्रों का संधारण सुनिश्चित नहीं किया गया था।
- योजना के तहत निष्पादित कार्यों के सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान इंगित की गई वित्तीय अनियमितताओं की वसूली राज्य स्तर पर केवल 23.58 प्रतिशत तक ही हुई थी और सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में उठाए गए आक्षेप, राज्य स्तर के साथ-साथ नमूना जाँच किए गए जिलों के स्तर पर भी सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव में बकाया थे।